



बिहार सरकार

ई-मेल - sdo-arw-bih@nic.in

Mobile no - 9473191479

दूरभाष - 06337-228656



पत्रांक-...../गो०

दिनांक-..... 2020

आदेश

(दं०प्र०सं० धारा-144 अंतर्गत)

कोविड-19 से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में हुए अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिपथ में रखते हुए तथा उसके रोकथाम के मद्देनजर सरकार के विशेष सचिव, (विशेष शाखा) गृह विभाग, बिहार सरकार पटना के आदेश ज्ञापांक-जी/आपदा-06-06/2020-102 (बि०स०को०) दिनांक 30.07.2020 द्वारा दिनांक 01.08.2020 से दिनांक 16.08.2020 द्वारा राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, नगर निकाय मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में लॉकडाउन प्रख्यापित करने का आदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में कार्यालय में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 943/गो० दिनांक 31.07.2020 द्वारा गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश ज्ञापांक-जी/आपदा-06-06/2020-102 (बि०स०को०) दिनांक 30.07.2020 को संपूर्ण जिला में लागू किया गया था।

पुनः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश ज्ञापांक-जी/आपदा-06-02/2020-351 (अ०मु०स०को०) दिनांक 17.08.2020 द्वारा गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश ज्ञापांक-जी/आपदा-06-06/2020-102 (बि०स०को०) दिनांक 30.07.2020 को दिनांक 17.08.2020 से दिनांक 06.09.2020 तक राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, नगर निकाय, मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में लागू किया गया है।

चूंकि अरवल जिला मूलतः ग्रामीण क्षेत्र है, तथा पंचायतों एवं ग्रामीणों क्षेत्रों में कोविड-19 के संक्रमण के मामले काफी संख्या में परिलक्षित हो रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि संपूर्ण अरवल जिला क्षेत्र में लॉकडाउन लागू किया जाय। दिनांक 17.08.2020 से 10.00 बजे रात्रि से 05.00 बजे सुबह तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही गृह विभाग बिहार पटना के आदेश के आलोक में खुलने वाली सभी दुकानें (दवा दुकानों को छोड़कर) 06.00 बजे पूर्वा० से रात्रि 07.00 बजे अप० तक खुल रहेंगी। जिले में अपवाद स्वरूप अतिवाश्यक गतिविधियाँ यथा औद्योगिक इकाईयों से संबंधित राष्ट्रीय एवं राजकीय उच्च पथ पर आवागमन भालों का लोडिंग, एवं अनलोडिंग, बस, ट्रेन एवं विमान से उतरने के उपरांत अपने गंतव्य स्थान पर जाने से संबंधित गतिविधियाँ जारी रहेंगी।

14

अतः कौविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 102 दिनांक 30.07.2020 की कंडिका-1 एवं जिला पदाधिकारी, अरवल का आदेश ज्ञापांक 977/गो0 दिनांक 17.08.2020 के आलोक में विधि व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मैं किरण सिंह (बि0प्र0से0) अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल दं0प्र0सं0 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरवल जिला अन्तर्गत सभी प्रखंडों एवं नगर परिषद् क्षेत्र, अरवल में रात्री कर्फ्यू के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करती हूँ। जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, जुलूस, आदि पर प्रतिबंध रहेगा एवं समय-10.00 बजे अपराहन से 05.00 बजे पूर्वाहन तक रात्री कर्फ्यू के दौरान सभी गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेगी।

आज दिनांक 17.08.2020 को मेरे कार्यालय की मुहर एवं हस्ताक्षर से निर्गत किया गया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक १४३/सा0 अरवल, दिनांक 17 वीं अगस्त, 2020

- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, अरवल को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, अरवल को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, अरवल को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, अरवल -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुमालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, अरवल/जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला नज्दत उप समाहर्ता/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी अंचल अधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी थानाध्यक्ष, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/2020
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
अरवल।